

न्यायालय अपर समाहर्ता, राँची।

जिला - राँची

केस का प्रकार - विविध वाद (जमाबन्दी निरस्तीकरण)

वाद सं० - 77/19-20

मौजा-पुन्दाग (नगड़ी)

राज्य सरकार वादी।

AcFR No: 89/19-20

बनाम

शमेश्वर प्रसाद पौदार

प्रतिवादी।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की टिप्पणी

2/9/21

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी उपस्थित है। विपक्षी को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित कथन (Written Statement) का अवलोकन किया।

उपायुक्त, राँची के आदेश ज्ञापांक-1956(ii) दिनांक 01.06.2018 द्वारा राजस्व शाखा से निर्गत आदेशानुसार मौजा-पुन्दाग, थाना सं०-228, खाता सं०-383, के गैरमजरूआ भूमि में कायम जमाबन्दी को रद्द करने हेतु प्राप्त आदेश के आलोक में B.L.R. Act-1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई हेतु संदिग्ध जमाबन्दी से संबंधित यह अभिलेख प्राप्त हुआ है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण:-

क्र०	मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
1	पुन्दाग	228	383	260	1050

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खाता की भूमि है। विपक्षी के द्वारा समर्पित लिखित कथन (Written Statement) का अवलोकन किया। लिखित कथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गैरमजरूआ खाते की उपरोक्त भूमि विपक्षी को विधिवत् प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त भूमि के रैयतीकरण संबंधी कोई कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। यथा (1) 1.1.1946 के पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड पट्टा/हुकुमनामा/बन्दोबस्ती परवाना लगान निर्धारण की प्रति (एम फॉर्म/रिटर्न की प्रति) 1955-56 से राजस्व लगान रसीद की प्रति प्राप्त नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित भूमि की जमाबन्दी विधि सम्मत नहीं है।


भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, राँची एवं अंचलाधिकारी, नगड़ी के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी निरस्त करने के लिए B.L.R. Act-1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ इस न्यायालय को यह अभिलेख प्रेषित किया गया है।


अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मौजा-पुन्दाग, थाना नं०-228, खाता सं०-383 से संबंधित उक्त वादग्रस्त गैरमजरूआ भूमि की जमाबन्दी

खाता सं०-383 से संबंधित उक्त वादग्रस्त गैरमजरुआ भूमि की जमाबन्दी निरस्तीकरण हेतु B.L.R. Act-1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

गैरमजरुआ भूमि की जमाबन्दी निरस्तीकरण के लिए B.L.R. Act-1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई हेतु उपायुक्त/समाहर्ता को शक्ति प्रदत्त है।

अतः अभिलेख उपायुक्त राँची के न्यायालय में भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
राँची।


अपर समाहर्ता,
राँची।